न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 66/2017/दावा

1. फत्तुराम पुत्र चौथूराम आयु 68 साल जाति कुमावत नि0 रैवासा तह0दांतारामगढ जिला सीकर। ——वादीगण

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. उप तहसीलदार ,उप तहसील पलसाना तह0दांतारामगढ जिला सीकर।
3. पटवारी ,पटवार हल्का रैवासा ,तह0दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत नक्शा दुरूस्ती अं.धारा 136 आर.एल.एक्ट ।

उपस्थिति— विद्वान अधिवकता

1. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह धायल , वादी ।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से तहसीलदार दांतारामगढ स्वयं उपस्थित।

नि र्ण य दिनांक — 29.10.18

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी गत ख.न. 664/1 रकब 4.62 है0 ,664/2 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा थे , जिसके ख.न. 664/1 के नये ख.न. 1779,1780,1781,1824,1825 कुल किता 6 कुल रकबा 4.62है0 व ख.न. 664/2 के नये ख.न.1826 रकबा 0.81 हे0 वाके ग्राम रैवासा पटवार हल्का रैवासा तह0दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। वाद पत्र में दर्ज गत ख.न. 664/1 ,664/2 के मूल ख.न. 664 था जिसका रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा था जिसकी पूर्व में खातेदारी बोदू पुत्र हणमान व मोहन पुत्र पन्ना जाति माली के नाम से दर्ज थी, परन्तु दोनो खातेदारो ने मूल ख.न. 664 को दो भागो में विभक्त कर रखा था। जिसमें से उत्तरी भाग मोहन पुत्र पन्ना व दक्षिण भाग छोटू पुत्र हनुमान के हिस्से में थे। छोटू पुत्र हनुमान ने अपने हिस्से में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि सीताराम पुत्र सुरजाराम जाति नाई को जरिये रजि0विक्रय पत्र दिंनाक 20.10.1970 को मूल ख.न. 664 की पूर्वी दक्षिणी दिशा में से विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया था। उक्त विक्रय पत्र का नामा0भरा गया था, उसी समय नामा0के पीछे नजरी नक्शा बना कर 664 का बंटवारा कर दिया। जिसके ख.न. 664/1 व 664/1 व 664/2 नये नम्बर बनाये गये । इसी प्रकार ख.न.664/1 का रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा व 664/2 का रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा है,जो कि राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है। पुराने ख.न. 664/1 व 664/2 के नये ख.न. का नक्शा बनाते समय सैटलमेंट के कर्मचारियो द्वारा गलती से नक्शे मे जहां नये ख.न. 1826 दर्ज होना चाहिए था, वहां 1825 दर्ज कर दिया । जहां 1825 दर्ज होना चाहिए था वहां 1826 दर्ज कर दिया गया ,जो कि गलत व कब्जे के विपरीत किया गया है। उक्त ख.न. का नकबा राजस्व रिकार्ड में सही है मौके पर प्रार्थी /वादी अपने विक्रय पत्र में दर्ज गत ख.न. 664/2 पर ही काबिज है व उसी पर सिंचाई करने के लिए कुआ बना रखा है तथा आवास हेतु निवास हेतु मकान बना रखे है। वादी/प्रार्थी का कब्जा काश्त सैटलमेंट से पूर्व से ही भूमि ख.न. 664/2 पर ही रहा है। उक्त ख.न. 664/2 के नये ख.न 1826 बने है तथा उक्त ख.न. 1826 नक्शे में दक्षिणी पूर्वी सीमा पर अंकित करना चाहिए था, परन्तु सैटलमेंट कर्मचारियो की गलती से उत्तरी दिशा में कर दिया गया, जो कि गलत हुआ है। उत्तरी दिशा में गत ख.न. 664/1के नये नम्बर 1825 दर्ज होना चाहिए था। सैटलमेंट के द्वारा कब्जे के विपरीत नक्शा तैयार किया गयाा था। जो भी गलत है, इसलिए ख.न.1826 व 1825 में राजस्व रिकार्ड नक्शे में दुरूस्त करके ख.न.1825 के स्थान पर ख.न.1826 दर्ज किया जाना तथा ख.न1826 के स्थान पर ख.न1825 दर्ज किया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं हाजिर आया तथा लिखित जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजियात का पुराने नक्शे से नया नक्शा बनाते वक्त सेटलमेंट अधिकारियों से गलति हुई है तथा विवादित आराजी ख.न. 1825 रकबा 0.38 है किस्म बा02 की खातेदारी रामेश्वर सावंला पु. छोटू वगे0 तथा ख.न.1826 रकबा 0.81 है0किस्म बा02 की खातेदारी फतूराम पु.चौथू कुम्हार सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। लेकिन मौके के अनुसार नक्शे में ख.न.1825 ,1826 का रकबा सही नही है। वर्तमान ख.न. जो नक्शे में 1825 मे से उत्तर में दोनो लाईनो को हटाकर प्रस्तावित संशोधन लाल स्याही से प्रदर्शित है। उक्त ख.न.में संशोधन के बाद नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में एक रूपता हो जावेगी तथा मौके पर भी ख.न.1825 व 1826 के प्रस्तावित नक्शे में संशोधन के अनुसार खातेदार पूर्व से ही काबिज है। संशोधन केवल नक्शे में ही किया जाना है शेष खाता बदस्तुर है।

बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि विवादित आराजियात में सैटलमेंट के कर्मचारियो द्वारा गलती से नक्शे मे जहां नये ख.न. 1826 दर्ज होना चाहिए था, वहां 1825 दर्ज कर दिया । जहां 1825 दर्ज होना चाहिए था वहां 1826 दर्ज कर दिया गया ,जो कि गलत व कब्जे के विपरीत किया गया है। तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुरूप नक्शे में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर गौर किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रैवासा के विवादित ख.न.1825 के उत्तर में दोनो लाईनो (नीली) को हटाकर संशोधित नक्शा लाल स्याही से संशोधित करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड (नई नक्शा शीट) मे इसी अनुसार संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार दांतारामगढ से प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व नक्शे में अमल हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो ।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner